बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

विषय– बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के प्रावधानों के आलोक में 07 आयोजना क्षेत्र प्राधिकार (बोधगया, गया, राजगीर, बिहारशरीफ, आरा, मुजफ्फरपुर एवं सहरसा) में पूर्व से सृजित विभिन्न कोटि के 147 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए राज्य के प्रत्येक जिला में 01 जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार का कार्यालय गठन करने एवं उक्त 38 (अड़तीस) कार्यालयों को सौंपे गये कार्यों एवं दायित्वों के समुचित निर्वहन हेतु रूपये 1,12,05,74,844.00 (एक सौ बारह करोड़ पांच लाख चौहत्तर हजार आठ सौ चौवालीस रुपये) के अनुमानित वार्षिक लागत व्यय पर विभिन्न प्रकार के कुल 1350 (एक हजार तीन सौ पच्चास) पदों के सृजन की स्वीकृति।

बिहार राज्य में शहरी क्षेत्रों और वैसे ग्रामीण क्षेत्रों जो शहरीकरण की क्षमता रखते हों, को योजनाबद्ध अभिवृद्धि और विकास तथा भूमि उपयोग के विनियमन और संवर्द्धन हेतु बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 (बिहार अधिनियम, 2012) अधिनियमित है।

2. उक्त अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 अधिसूचित की गई है। उक्त नियमावली के आलोक में किसी भी समय आयोजना क्षेत्र की घोषणा के पश्चात् सरकार अधिसूचना द्वारा आयोजना क्षेत्र के अभिप्रयार्थ उस आयोजना क्षेत्र का आयोजना प्राधिकार कहे जाने वाले प्राधिकार का गठन कर सकती है।

3. आयोजना क्षेत्र प्राधिकार के कृत्य एवं शक्तियाँ निम्नवत् हैं :–

(i) आयोजना क्षेत्र के लिए विकास योजनाओं को तैयार करना;

(ii) राज्य सरकार द्वारा इच्छा व्यक्त किये जाने पर क्षेत्र विकास स्कीमों को तैयार करना;

(iii) विकास योजनाएँ या क्षेत्र विकास स्कीमों को तैयार करने हेतु आयोजना क्षेत्र में सर्वेक्षण कार्य करना।

(iv) आयोजना क्षेत्र में विकास योजना के अनुसार विकास गतिविधियों पर नियंत्रण रखना।

(v) प्राधिकार को प्रस्तुत दस्तावेजों की संवीक्षा के लिए विनियमावली द्वारा यथाविहित संवीक्षा फीस उद्‌गृहित तथा संग्रहित करना।

(vi) अपने कृत्यों के संपादन के लिए आयोजना प्राधिकार जिसे आवश्यक समझे, वैसे किसी व्यक्ति या संगठन के साथ संविदा, करार या व्यवस्था करना।

(vii) जिसे आवश्यक समझे उस चल या अचल संपत्ति का अर्जन करना, धारित करना, प्रबंधन और निष्पादन करना।

(viii) सभी भौतिक आधारभूत संरचना कार्य यथा जलापूर्ति जल और मल निकास, विद्युत, गैस आपूर्ति आदि से जुड़े कार्यों का निष्पादन तथा अन्य सेवाओं और सुविधाओं का उपबंध करना।

3. बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के प्रावधानों के तहत वर्तमान में कुल 43 आयोजना क्षेत्र प्राधिकारों का गठन किया जा चुका है एवं समस्तीपुर आयोजना क्षेत्र प्राधिकार का गठन प्रक्रियाधीन है। विदित हो कि विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–2226 दिनांक–03.10.2018 द्वारा पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार के कार्यालय हेतु कुल–76 पद स्वीकृत है। साथ ही 07 आयोजना क्षेत्र प्राधिकारों यथा–बोधगया, गया, बिहारशरीफ, राजगीर, आरा, मुजफ्फरपुर एवं सहरसा आयोजना क्षेत्र प्राधिकार के कार्यालय हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–327 दिनांक–05.03.2019 द्वारा प्रत्येक आयोजना क्षेत्र प्राधिकार हेतु विभिन्न कोटि के कुल–21 पदों अर्थात कुल–21x7=147 पदों का सृजन किया गया है।

4. इस प्रकार शेष (43–08) 35 आयोजना क्षेत्र प्राधिकारों यथा–मुंगेर, बेगूसराय, पूर्णियाँ, छपरा, दरभंगा, बक्सर, किशनगंज, कटिहार, सासाराम, डेहरी, मोतिहारी, औरंगाबाद, हाजीपुर, जमुई, सिवान, बेतिया, बगहा, लखीसराय, खगड़िया, अररिया, फारबिसगंज, सीतामढ़ी, भभुआ, मधुबनी, शिवहर, अरवल, सुपौल, सोनपुर, शेखपुरा, बांका, गोपालगंज, जहानाबाद, मधेपुरा, नवादा एवं भागलपुर आयोजना क्षेत्र प्राधिकार में पदों का सृजन नहीं किया गया है।

5. आयोजना क्षेत्र प्राधिकारों के कार्यों के निष्पादन हेतु बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम–19 में यह प्रावधान है कि आयोजना क्षेत्र प्राधिकार इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों को दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए यथा आवश्यक पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति सरकार के पूर्व अनुमोदन से कर सकेगा तथा उनके योग्यताओं, पदनामों एवं कोटियों को अवधारित कर सकेगा।

6. भविष्य में केंद्र सरकार की योजना AMRUT-2.0 में 50,000–99,999 तक की आबादी वाले शहरों का Master plan तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है एवं तदनुरूप आयोजना क्षेत्र प्राधिकारों का भी गठन किया जाना संभावित है।

7. पूर्व में बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम–19 के प्रावधानों के आलोक में गठित 35 आयोजना क्षेत्र प्राधिकारों के कृत्यों के संचालन हेतु आवश्यक संख्या में पदों का सृजन किये जाने का प्रस्ताव था, किन्तु कंडिका–06 के आलोक में भविष्य में लगभग 60 से अधिक आयोजना क्षेत्र प्राधिकारों का गठन किया जाना संभावित है, जिससे कुल आयोजना क्षेत्र प्राधिकार की संख्या लगभग 100 से अधिक हो जाने की संभावना है। उक्त तथ्यों के आलोक में सभी आयोजना क्षेत्र प्राधिकारों में पद सृजित किया जाना व्यवहारिक रूप से समीचीन प्रतीत नहीं होता है, फलस्वरूप उक्त के आलोक में प्रत्येक जिला स्तर पर आयोजना क्षेत्र प्राधिकार कार्यालय का गठन किया जाता है, जिसमें संबंधित जिला में गठित सभी आयोजना क्षेत्रों के कार्यो का निष्पादन संबंधित जिला मुख्यालय स्थित जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार के कार्यालय से होगा।

8. उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में 07 आयोजना क्षेत्र प्राधिकारों यथा–बोधगया, गया, बिहारशरीफ, राजगीर, आरा, मुजफ्फरपुर एवं सहरसा आयोजना क्षेत्र प्राधिकार के कार्यालय हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–327 दिनांक–05.03.2019 द्वारा पूर्व से सृजित विभिन्न कोटि के 147 पदों को प्रत्यर्पित किया जाता है।

9. अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के प्रावधानों के आलोक में 07 आयोजना क्षेत्र प्राधिकार (बोधगया, गया, राजगीर, बिहारशरीफ, आरा, मुजफ्फरपुर एवं सहरसा) में पूर्व से सृजित विभिन्न कोटि के 147 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए राज्य के प्रत्येक जिला में 01 जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार का कार्यालय गठन करने एवं उक्त 38 (अड़तीस) कार्यालयों को सौंपे गये कार्यों एवं दायित्वों के समुचित निर्वहन हेतु विभिन्न प्रकार के पदों का निम्नवत् सृजन किया जाता है :–

(i) जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार का कार्यालय (जिसमें प्रमण्डलीय शहर अवस्थित हो), जिसकी संख्या–09 है, में विभिन्न प्रकार के निम्न पदों का सृजन किया जाता है :–

क्र० सं०	जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार कार्यालय (जिसमें प्रमण्डलीय शहर अवस्थित हो) में नवसृजित पद का नाम	नवसृजित पदों की संख्या	वेतन स्तर	जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार (09 प्रमण्डलीय शहर) कार्यालय में नवसृजित पदों की कुल संख्या
1	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (भारतीय प्रशासनिक सेवा/बिहार प्रशासनिक सेवा)	01	वेतन स्तर–12	9 x 1 = 09
2	प्राधिकार के सचिव (बिहार नगर सेवा के मूल कोटि)	01	वेतन स्तर–07	9 x 1 = 09
3	भू–सम्पदा पदाधिकारी (बिहार प्रशासनिक सेवा/बिहार नगर सेवा)	01	वेतन स्तर–09	9 x 1 = 09
4	निगरानी/विधि पदाधिकारी (बिहार अभियोजन सेवा, गृह विभाग से प्रतिनियुक्ति द्वारा)	01	वेतन स्तर–09	9 x 1 = 09
5	वरीय लेखा पदाधिकारी (वित्त विभाग द्वारा बिहार अंकेक्षण सेवा के सहायक अंकेक्षण पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा)	01	वेतन स्तर–07	9 x 1 = 09
6	निजी सहायक (समाहरणालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग अथवा संविदा पर)	01	वेतन स्तर–07	9 x 1 = 09
7	आशुलिपिक (समाहरणालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग अथवा संविदा पर)	01	वेतन स्तर–04	9 x 1 = 09
8	एसोसिएट वास्तुविद् (भवन निर्माण विभाग/नगर तथा क्षेत्रीय निवेशन संगठन से प्रतिनियुक्ति पर अथवा संविदा पर)	01	वेतन स्तर–11	9 x 1 = 09
9	सहायक वास्तुविद्	03	वेतन	9 x 3 = 27

	(भवन निर्माण विभाग/नगर तथा क्षेत्रीय निवेशन संगठन से प्रतिनियुक्ति पर अथवा संविदा पर)		स्तर–09	
10	एसोसिएट नगर निवेशक (भवन निर्माण विभाग/नगर तथा क्षेत्रीय निवेशन संगठन से प्रतिनियुक्ति पर अथवा संविदा पर)	01	वेतन स्तर–11	9 x 1 = 09
11	सहायक नगर निवेशक (भवन निर्माण विभाग/नगर तथा क्षेत्रीय निवेशन संगठन से प्रतिनियुक्ति पर अथवा संविदा पर)	02	वेतन स्तर–09	9 x 2 = 18
12	सर्वे सहायक (भवन निर्माण विभाग/नगर तथा क्षेत्रीय निवेशन संगठन से प्रतिनियुक्ति पर अथवा संविदा पर)	02	वेतन स्तर–04	9 x 2 = 18
13	कार्यपालक अभियन्ता (बिहार अभियंत्रण सेवा अथवा संविदा पर)	01	वेतन स्तर–11	9 x 1 = 09
14	सहायक अभियन्ता (बिहार अभियंत्रण सेवा अथवा संविदा पर)	02	वेतन स्तर–09	9 x 2 = 18
15	कनीय अभियन्ता (नगर विकास अवर अभियंत्रण सेवा)	02	वेतन स्तर–07	9 x 2 = 18
16	सहायक प्रशासी पदाधिकारी (समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग)	01	वेतन स्तर–07	9 x 1 = 09
17	प्रधान लिपिक (समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग)	01	वेतन स्तर–06	9 x 1 = 09
18	उच्च वर्गीय लिपिक (समाहरणालय लिपिकीय सेवा संवर्ग अथवा संविदा पर)	03 (01 लेखापाल के कार्य हेतु)	वेतन स्तर–04	9 x 3 = 27
19	निम्न वर्गीय लिपिक (समाहरणालय लिपिकीय सेवा संवर्ग अथवा संविदा पर)	03 (01 रोकड़पाल के कार्य हेतु)	वेतन स्तर–02	9 x 3 = 27

20	उप नगर योजना (टाउन प्लानिंग) पर्यवेक्षक (बिहार नगरपालिका नगर योजना टाउन प्लानिंग पर्यवेक्षक सेवा संवर्ग)	01	वेतन स्तर–08	9 x 1 = 09
21	सहायक नगर योजना (टाउन प्लानिंग) पर्यवेक्षक (बिहार नगरपालिका नगर योजना टाउन प्लानिंग पर्यवेक्षक सेवा संवर्ग)	03	वेतन स्तर–07	9 x 3 = 27
22	ड्राफ्टसमैन ग्रेड–I	01	वेतन स्तर–06	9 x 1 = 09
23	ड्राफ्टसमैन ग्रेड–II	02	वेतन स्तर–04	9 x 2 = 18
24	सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी	01	वेतन स्तर–07	9 x 1 = 09
25	अमीन	02	वेतन स्तर–03	9 x 2 = 18
	कुल पदों की संख्या	**39**		**351**

(ii) 09 प्रमंडलीय शहर के अतिरिक्त अन्य जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार कार्यालय, जिसकी कुल संख्या–29 है, में विभिन्न प्रकार के निम्न पदों का सृजन किया जाता है :–

क्र० सं०	29 अन्य जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार कार्यालय में नवसृजित पद का नाम	नवसृजित पदों की संख्या	वेतन स्तर	29 अन्य जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार कार्यालय में नवसृजित पदों की कुल संख्या
1	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (भारतीय प्रशासनिक सेवा/बिहार प्रशासनिक सेवा/बिहार नगर सेवा)	01	वेतन स्तर–12	29 x 1 = 29
2	प्राधिकार के सचिव (बिहार नगर सेवा की मूल कोटि)	01	वेतन स्तर–07	29 x 1 = 29
3	भू–सम्पदा पदाधिकारी (बिहार प्रशासनिक	01	वेतन स्तर–09	29 x 1 = 29

	सेवा/बिहार नगर सेवा)			
4	निगरानी /विधि पदाधिकारी (बिहार अभियोजन सेवा, गृह विभाग से प्रतिनियुक्ति द्वारा)	01	वेतन स्तर–09	29 x 1 = 29
5	लेखा पदाधिकारी (वित्त विभाग द्वारा बिहार अंकेक्षण सेवा के वरीय अंकेक्षण की प्रतिनियुक्ति द्वारा)	01	वेतन स्तर–06	29 x 1 = 29
6	आशुलिपिक (समाहरणालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग अथवा संविदा पर)	01	वेतन स्तर–04	29 x 1 = 29
7	एसोसिएट वास्तुविद् (भवन निर्माण विभाग/नगर तथा क्षेत्रीय निवेशन संगठन से प्रतिनियुक्ति पर अथवा संविदा पर)	01	वेतन स्तर–11	29 x 1 = 29
8	सहायक वास्तुविद् (भवन निर्माण विभाग/नगर तथा क्षेत्रीय निवेशन संगठन से प्रतिनियुक्ति पर अथवा संविदा पर)	02	वेतन स्तर–09	29 x 2 = 58
9	सहायक नगर निवेशक (भवन निर्माण विभाग/नगर तथा क्षेत्रीय निवेशन संगठन से प्रतिनियुक्ति पर अथवा संविदा पर)	02	वेतन स्तर–09	29 x 2 = 58
10	सर्वे सहायक (भवन निर्माण विभाग/नगर तथा क्षेत्रीय निवेशन संगठन से प्रतिनियुक्ति पर अथवा संविदा पर)	01	वेतन स्तर–04	29 x 1 = 29
11	कार्यपालक अभियन्ता (बिहार अभियंत्रण सेवा अथवा संविदा पर)	01	वेतन स्तर–11	29 x 1 = 29
12	सहायक अभियन्ता (बिहार अभियंत्रण सेवा अथवा	02	वेतन स्तर–09	29 x 2 = 58

	संविदा पर)			
13	कनीय अभियन्ता (नगर विकास अवर अभियंत्रण सेवा)	02	वेतन स्तर–07	29 x 2 = 58
14	सहायक प्रशासी पदाधिकारी (समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग अथवा संविदा पर)	01	वेतन स्तर–07	29 x 1 = 29
15	प्रधान लिपिक (समाहरणालय लिपिकीय सेवा संवर्ग अथवा संविदा पर)	01	वेतन स्तर–06	29 x 1 = 29
16	उच्च वर्गीय लिपिक (समाहरणालय लिपिकीय सेवा संवर्ग अथवा संविदा पर)	03 (01 लेखापाल के कार्य हेतु)	वेतन स्तर–04	29 x 3 = 87
17	निम्न वर्गीय लिपिक (समाहरणालय लिपिकीय सेवा संवर्ग अथवा संविदा पर)	03 (01 रोकड़पाल के कार्य हेतु)	वेतन स्तर–02	29 x 3 = 87
18	उप नगर योजना (टाउन प्लानिंग) पर्यवेक्षक (बिहार नगरपालिका नगर योजना टाउन प्लानिंग पर्यवेक्षक सेवा)	01	वेतन स्तर–08	29 x 1 = 29
19	सहायक नगर योजना (टाउन प्लानिंग) पर्यवेक्षक (बिहार नगरपालिका नगर योजना टाउन प्लानिंग पर्यवेक्षक सेवा)	02	वेतन स्तर–07	29 x 2 = 58
20	ड्राफ्टसमैन ग्रेड–I	01	वेतन स्तर–06	29 x 1 = 29
21	ड्राफ्टसमैन ग्रेड–II	02	वेतन स्तर–04	29 x 2 = 58
22	वरीय सांख्यिकी सहायक	01	वेतन स्तर–06	29 x 1 = 29
23	अमीन	02	वेतन स्तर–03	29 x 2= 58
	कुल पदों की संख्या	**34**		**986**

(iii) उपरोक्त के अतिरिक्त पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार (PMAA) के कार्यालय को सौंपे गये कृत्यों एवं दायित्वों के समुचित निर्वहन के उद्देश्य से उक्त कार्यालय में पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त निम्न विवरणी में अंकित पदों का सृजन किया जाता है

क्र० सं०	पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार (PMAA) कार्यालय हेतु नवसृजित पद का नाम	पूर्व से सृजित पदों की संख्या	नवसृजित पदों की संख्या	वेतन स्तर	पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार (PMAA) कार्यालय में नवसृजित कुल पदों की संख्या
1	उप नगर योजना (टाउन प्लानिंग) पर्यवेक्षक (बिहार नगरपालिका नगर योजना टाउन प्लानिंग पर्यवेक्षक सेवा)	00	04	वेतन स्तर–08	1 x 4 = 4
2	सहायक नगर योजना (टाउन प्लानिंग) पर्यवेक्षक (बिहार नगरपालिका नगर योजना टाउन प्लानिंग पर्यवेक्षक सेवा)	00	09	वेतन स्तर–07	1 x 9 = 9
	कुल	**00**	**13**		**13**

10. उक्त नवसृजित पदों के अतिरिक्त प्रत्येक जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार कार्यालयों में आवश्यकताओं के अनुसार जी०आई०एस० एक्सपर्ट, आई०टी० मैनेजर, कार्यपालक सहायक/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर एवं मल्टी टास्किंग स्टाफ की सेवा निर्धारित मानदेय/पारिश्रमिक पर बेल्ट्रॉन से अथवा विभाग द्वारा निर्धारित एजेन्सी के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा।

11. उपरोक्त कंडिका–10 के (i) (ii) एवं (iii) में अंकित पदों के सृजन के फलस्वरूप संलग्न विवरणी अनुलग्नक–05, 06 एवं 07 के अनुसार 1,12,05,74,844.00 (एक सौ बारह करोड़ पांच लाख चौहत्तर हजार आठ सौ चौवालीस रुपये) वार्षिक व्यय अनुमानित है।

12. बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के प्रावधानों के आलोक में 7 आयोजना क्षेत्र प्राधिकार (बोधगया, गया, राजगीर, बिहारशरीफ, आरा, मुजफ्फरपुर एवं सहरसा) में पूर्व से सृजित विभिन्न कोटि के 147 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए राज्य के प्रत्येक जिला में 01 जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार का कार्यालय गठन करने एवं उक्त 38 (अड़तीस) कार्यालयों को सौंपे गये कार्यों एवं दायित्वों के समुचित निर्वहन हेतु रूपये 1,12,05,74,844.00 (एक सौ बारह करोड़ पांच लाख चौहत्तर हजार आठ सौ चौवालीस रुपये) के अनुमानित वार्षिक लागत व्यय पर विभिन्न प्रकार के कुल–1350 (एक हजार तीन सौ पच्चास) पदों के सृजन के प्रस्ताव पर दिनांक–03.06.2025 को मंत्रिपरिषद् की आहूत बैठक में मद् संख्या–30 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाये।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(अभय कुमार सिंह)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–09/न0वि0(विविध)–27/2024–6234 न0वि0आ0वि0,पटना,दिनांक–

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त विभाग (ई–गजट प्रशाखा), बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के अगले असधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–09/न0वि0(विविध)–27/2024–6234 न0वि0आ0वि0,पटना,दिनांक–03/06/25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव विभागाध्यक्ष/प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड/बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि0/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद एवं नगर पंचायत/एकीकृत

शहरी अभियंत्रण संगठन/नगर तथा क्षेत्रीय निवेशन संगठन/अध्यक्ष, पटना महानगर प्राधिकार, पटना/जिलाधिकारी–सह–अध्यक्ष, सभी आयोजना क्षेत्र प्राधिकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/6/15

सरकार के सचिव।